राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5 (4) आ.प्र. एवं स.आ. / चारा / पशुआहार / 09 / 3069-95 जयपुर,दिनांक 10.2.10

जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, नागौर,
हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनूं,अजमेर,राजसमंद,
बांसवाड़ा, बाड़मेर,चित्तौड़गढ़, जोधपुर,सीकर,
सिरोही।

विषयः- अभाव संवत 2066 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु पालकों के पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अभाव सम्वत 2066 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में आपके जिले से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जिलों के सम्मुख अंकित पशु संख्या हेतु **फरवरी, 2010** से सम्वत् 2066 की पशु संरक्षण गतिविधियां जारी रहने की अवधि तक के लिए अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकृत किया जाता हैः-

क्र.सं.	नाम जिला	पशु संख्या
1	भीलवाड़ा	280000
2	बीकानेर	70000
3	डूंगरपुर	40000
4	नागौर	274139
5	हनुमानगढ़	48884
6	जालौर	69108
7	झुन्झुनूं	100924
8	अजमेर	100000
9	राजसमंद	127818
10	बांसवाड़ा	10000
11	बाड़मेर	35000
12	चित्तौड़गढ़	30000
13	जोधपुर	44000
14	सीकर	5000
15	सिरोही	82467
	योगः	1317340

नोटः- उक्त संख्या पूर्व में (जनवरी,10 तक) स्वीकृत पशु संख्या को सम्मिलित करते हुए है।

पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. पशु आहार अनुदान अनुसूचित जाति, जनजाति, सीमान्त एवं लघु कृषकों के पशुओं को प्राथमिकता पर स्वीकृत किया जाए, इसके उपरान्त सामान्य श्रेणी के पशुपालकों के पशुओं को स्वीकृति दी जाए। क्योंकि उक्त योजना का लाभ विशेष रूप से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ ही प्राप्त करने में सफल रहती है।

......2

2. उक्त श्रेणी के सभी पशुपालकों के पास उपलब्ध तीन पशुओं की मांग में से एक पशु को तथा इससे अधिक पशु होने की सिथति में दो पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जाए।

3. अनुदानित दर पर पशु आहार का वितरण पंचायत राज संस्थाओं/ सहकारी सस्थाओं/ ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाए।

4. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पशु आहार अनुदान राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/ राजफैड द्वारा निर्मित, एवं राजफैड द्वारा क्रय कर आपूर्ति किये गये पशु आहार पर ही देय होगा।

5. पशु पालकों के पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध करायेजाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि उस पशुपालक के पशु उस क्षेत्र में संचालित पशु शिविर के माधम से तो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं अर्थात पशु पालक के पशु को एक ही योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाए।

6 अनुदानित दर पर पशु आहार अनुदान 4/- रूपये प्रति किलो की दर से अधिकतम 2 किलो आहार प्रति पशु प्रतिदिन की दर से देय होगा अर्थात 8/- रूपये की राशि अनुदान स्वरूप प्रतिपशु प्रतिदिन की दर से देय होगा। संबंधित जिला कलेक्टर्स जिले की पशु आहार की आवश्यकता की मांग आर.सी.डी.एफ./राजफैड को मांग प्रेषित करेंगे तथा पशु आहार की आपूर्ति आर.सी.डी.एफ./राजफैड द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

7. जिला कलक्टर समय समय पर पशु आहार की जॉच करायेगें और सुनिश्चित करेगे कि अच्छी किस्म का पशु आहार ही पशुपालको को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिमाह सरकार को इस संबंध में सूचना देगे।

8. पशु पालको को उनके पशुओ के लिए पशु आहार उपलब्ध कराने हेतु जिला कलक्टर के निर्देशन में तहसीलदार कार्ड जारी करेगें। पशु आहार उन्ही कार्डस पर दिया जाएगा।

9. पशु आहार वितरण करने वाली संस्था द्वारा अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा वितरित किए गए पशु आहार का बिल संबंधित जिला कलक्टर को पेश किया जायेगा, जिला कलक्टर स्वय की संतुष्टि के पश्चात् संस्था को अनुदान का भुगतान करेंगे।

10. पशु आहार वितरण लेखों की जांच व ऑडिट महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा अथवा सहायता विभाग की ऑडिट पार्टी द्वारा किया जा सकेगा।

11. उपरोक्त कार्यवाही की समीक्षा जिला स्तरीय, उप खण्ड स्तरीय अकाल राहत समीक्षा समितियों की बैठक में की जाएगी। इस योजना का समुचित प्रचार भी किया जाए।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पशु आहार वितरण सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

5/2/10

शासन सचिव